

भाग- IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को :
स्वीकार करने या अन्यथा के लिए
राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।

CF. 12/22 22 CF. 12/16/22/52

.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

तिथि: 23/7/24

स्थान: मेरठ 12/22/24

हस्ताक्षर:

h

नाम:

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

पदनाम: